



शौद्धामनी



अप्रैल - जून, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

खण्ड-1 अंक-1



शौद्धामनी



अप्रैल - जून, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

खण्ड-1 अंक-1

कविता पाठ प्रतियोगिता, तृतीय पुरस्कार हिन्दी पखवाडा, 2013

धरा तो रक्त रंजित है।
हिमालय भी हाहाकार उठा
यह समय नहीं उपदेश देने का,
यह समय है तू हथियार उठा।

द्रोण सा है चक्रव्यूह रवा
अभिमन्यु सा तू, तलवार उठा
बहुत सह लिया अब बस,
मातृभूमि की लाज बचा,
यह समय नहीं युधिष्ठिर बनने का,
यह समय है तू हथियार उठा।

पड़ा तो लाल लहू धरा पर
आत्मा भी हिंद का ललकार उठा
वह श्वेत रंग उस विधवा का
जिसने शृंगार बलिदान दिया
हरी चूड़ियाँ जो टूटी पत्थर से टकराकर
जवानी भी चीत्कार उठा

इन तीनों रंगों से सजा,
यह तिरंगा तू इकबार उठा
यह समय नहीं आलिंगन का
यह समय है तू देश बचा



यह समय नहीं उपदेश देने का
यह समय है तू हथियार उठा।

ब्रह्म जनेऊ तोड़ दे
कावा-काशी छोड़ दे
भगत आजाद की तू याद दिला
यह समय नहीं चंडी पाठ का

यह समय है तू आवाज उठा
यह समय नहीं उपदेश देने का
यह समय है तू हथियार उठा।

अमित कुमार,
प्रेषण विभाग

सम्पादकीय

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अपनी मूल प्रकृति में एक न्यायिक कल्प निकाय है। आयोग की कार्य प्रकृति यद्यपि मूलतः तकनीकी किस्म की है तथापि हिंदी के समुचित प्रयोग के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। आयोग में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन, नियमित हिंदी कार्य शालाओं व कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था, मौलिक पुस्तक लेखन योजना एवं विभागीय प्रोत्साहन योजना के समुचित कार्यान्वयन के साथ-साथ अब गृह पत्रिका का शुभारंभ हमारे राजभाषा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को दर्शाता है।

हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का विकास उसके बहुआयामी प्रयोग से ही संभव होता है। इसीलिए राजभाषा का विकास भी मात्र कविता, कहानी, लेख तक सीमित न रहकर उस भाषा में उपलब्ध तकनीकी विषयों के स्तर व मात्रा पर भी निर्भर करता है। इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए उन समस्त विद्वतजनों का आभार जिन्होंने इस कार्य में अपना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

संपादकीय मंडल
शुभा शर्मा - सचिव

पी. राममूर्ति - सहायक सचिव

राजेन्द्र प्रताप सहगल - राजभाषा अधिकारी



मनेसर में पारस्परिक विचार विमर्श के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं उच्च अधिकारीगण

संरक्षक
ए.के.सिंघल
सदस्य

www.cercind.gov.in

संपादक मंडल
शुभा शर्मा, सचिव
पी. राममूर्ति, सहायक सचिव
राजेन्द्र प्रताप सहगल
राजभाषा अधिकारी

कृपया इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें :
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली-110001
Email : info@cercind.gov.in

इस पत्रिका में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और इससे के.वि.वि.आ. की सहमति अनिवार्य नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण की शक्ति आपके हाथ में है

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पत्रिका के प्रकाशन का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से हम आयोग की गतिविधियों की समुचित जानकारी अपने स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध करवा सकेंगे। मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से हम अपने स्टाफ सदस्यों की रचनात्मक प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे।

राजभाषा हिंदी के निरंतर प्रयोग एवं इसकी प्रगति के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस पत्रिका में अपने स्टाफ सदस्यों द्वारा रचित कविता, कहानी, लेख इत्यादि को शामिल करने के साथ साथ तकनीकी विषयों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

इस पत्रिका के प्रवेशांक के लिए जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने सामग्री उपलब्ध करवाई है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण

गिरीश भा. प्रधान
अध्यक्ष



विश्वास है कि हमारे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की गतिविधियों, कार्यकलापों एवं विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध होने से यह पत्रिका अत्यंत उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगी।

पत्रिका के प्रवेशांक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का 15 वर्ष का सफर



वर्ष 1998 में गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अपने 15 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है और 16वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यही उपयुक्त समय है कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन तटस्थ एवं निष्पक्ष भाव से करें। हम सभी जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जनमानस की अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं और उनकी पूर्ति करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। आयोग अपने दायित्वों के प्रति सदैव सचेत एवं सतर्क रहा है। वर्ष 2009-14 के टैरिफ विनियम (Tariff Regulation) के निर्माण, पारेषण के विकास, सुरक्षित ग्रिड प्रचालन, पर्यावरण सुरक्षा व अक्षत ऊर्जा के ग्रिड से एकीकरण, हरित पारेषण (Green Corridor) स्मार्ट ग्रिड में नेतृत्व एवं ऊर्जा बाजार के विकास के माध्यम से विद्युत अधिनियम,

2003 की आधारभूत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसी उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 2004 में निर्बाध पहुंच (Open Access) के नियमों को लागू किया और वर्ष 2007 में पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए आदेश जारी किए। आयोग जन सामान्य के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है और अपने समस्त स्तर के स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से ही हम इन उपलब्धियों को अर्जित कर सके हैं।

हमारे समक्ष मौजूदा चुनौतियों को पूरा करने और अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

स्थापना दिवस के इस शुभावसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

(एम. दीनदयालन)
सदस्य

ऊर्जा संरक्षण की शक्ति आपके हाथ में है



अप्रैल - जून, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

खण्ड-1 अंक-1



अप्रैल - जून, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

खण्ड-1 अंक-1

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में पिछली छमाही के दौरान राजभाषा व अन्य गतिविधियां

हिंदी कार्यशाला का आयोजन :

राजभाषा नीति के पूर्णरूपेण अनुपालन के लिए दिनांक 14.2.2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम.के.आनंद प्रमुख (वित्त) एवं अध्यक्ष-राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया गया। उन्होंने उद्घाटन भाषण में कामकाजी हिंदी को बढ़ाना देने का अनुरोध किया और नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने पर बल दिया। इस कार्यशाला में टिप्पण/प्रारूप लेखन के स्वरूप, तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने जैसे विषयों को शामिल किया गया। इस कार्यशाला में विद्युत मंत्रालय के संयुक्त निदेशक राजभाषा श्री आर.सी.शर्मा को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में कुल 21 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।



विभागीय प्रोत्साहन पुरस्कार

मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन एवं विभागीय प्रोत्साहन योजना पुरस्कार :

आयोग के परिसर में दिनांक 15 मई, 2014 को मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन एवं विभागीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश भा. प्रधान द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन के लिए श्री विक्रम सिंह उप प्रमुख (इंजी) को उनकी मौलिक कृति "चेतना स्रोत : भगत सिंह" के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही विभागीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए श्री हरीश बलोदी (सहायक) एवं सुश्री मेधा सहगल (आशुलिपिक) को पुरस्कृत किया गया। हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए ₹ 5,000/- की राशि के साथ प्रतीक चिह्न एवं विभागीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹ 2,000/- की राशि के साथ प्रतीक चिह्न प्रदान किए गए। आयोग के अध्यक्ष श्री गिरीश भा. प्रधान ने पुरस्कृत विजेताओं को बधाई देते हुए सभी



माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण तथा उच्च अधिकारियों द्वारा पुस्तक लोकार्पण

स्टाफ सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने रोजमर्रा के कामकाज में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें। इस समारोह में आयोग के सदस्यगण एवं सभी उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

जून, 2014 को समाप्त तिमाही बैठक दिनांक 30.6.2014 को आयोग के परिसर में आयोजित की गई। आयोग की सचिव सुश्री शुभा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस तिमाही बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सदस्य सचिव ने प्रत्येक विभाग की हिंदी प्रगति की अलग अलग जानकारी दी।

समिति की अध्यक्ष सुश्री शुभा शर्मा ने इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर समिति के सभी सदस्यों को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस बैठक में समिति के उपाध्यक्ष श्री एस.के.चटर्जी एवं सदस्यों के रूप में डॉ. यू.आर.प्रसाद, श्री सुकांता गुप्ता, श्री टी.डी. पंत, श्री राजीव पुष्करणा एवं श्री पी. राममूर्ति ने भी भाग लिया।



राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के दौरान पारस्परिक विचार विमर्श

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की विभिन्न गतिविधियां

- वेस्टर्न कंट्री क्लब, मनेसर में दिनांक 1-2 अक्टूबर, 2013 को टैरिफ विनियम (Tariff Regulation) पर विचार विमर्श हेतु के. वि.वि.आयोग के स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया।
- केविआ आयोग के समक्ष चुनौतियों एवं अपेक्षित रणनीतियों पर विचार विमर्श के लिए स्टाफ सदस्यों ने 2-3 मई, 2014 को मनेसर में बैठक की।
- दिल्ली एयरटेल द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 को दिल्ली में आयोजित मैराथन दौड़ में श्री विक्रम सिंह उप प्रमुख (इंजीनियरिंग) ने 21 किलोमीटर एवं श्री एस.सी. श्रीवास्तव, संयुक्त प्रमुख (इंजी), श्री विजय मेघाणी, संयुक्त प्रमुख (इंजी), श्री पार्थ सेन, उप प्रमुख (वित्त), श्री पी.के. सिन्हा, सहायक प्रमुख (विधि), श्री वी.श्रीनिवास, उप प्रमुख (विधि) एवं श्री



मैराथन दौड़ में भाग लेते हुए अधिकारीगण
विजय मिश्रा (अनुसंधान अधिकारी) ने 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भाग लिया।

राजभाषा - स्थिति और संभावनाएं

आज हिंदी चीनी भाषा के बाद विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली द्वितीय भाषा है। हिंदी संस्कृत, पालि, आदि अन्य भाषाओं के अपभ्रंश से बनी है।

हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में हिंदी भी है। हमारी संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया व सरकारी कार्य हिंदी भाषा में करने का निर्णय लिया, परंतु अंग्रेजी भाषा में व्यापक चलन के कारण यह निश्चित किया गया कि सरकारी कार्य अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया।

हिंदी का विकास स्वतंत्रता के बाद से बहुत तेजी से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदी विश्व में बोली व समझी जाने वाली पांचवी भाषा थी। आज हिंदी विश्व में बोली व समझी जाने वाली दूसरी भाषा है। हिंदी भारत के अलावा नेपाल के क्षेत्रों, फिजी, मारीशस, गुयना आदि देशों में भी बोली व समझी जाती है। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी भाषा को शामिल करने की मांग जोर पकड़ती आ रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया और संपूर्ण विश्व ने इस की सराहना की थी।

हिंदी भाषा का विस्तार इसी से पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा में 30000 शब्द हैं जबकि हिंदी भाषा में 70000 शब्द हैं। पिछले दो दशकों में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शुरुआती दिनों में इन्होंने अपना कार्य अंग्रेजी भाषा में शुरु किया, परंतु उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए इन्हें हिंदी भाषा का सहारा लेना पड़ा। आज भारतीय मध्यमवर्ग की खरीदने की स्वतंत्रता बड़ी है और मध्यम वर्ग ज्यादातर हिंदी भाषा समझता व बोलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों मजबूर हैं हिंदी भाषा अपनाने के लिए। अन्य देशों में भी हिंदी भाषी तबका बड़े स्तर पर मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 2 अरब से भी ज्यादा हिंदी भाषी हैं।

जब मीडिया की दुनिया के बादशाह रुपर्ट मैडोर्क ने भारत में अपना स्टार चैनल शुरु किया तो वह अंग्रेजी में था परंतु कुछ ही समय बाद वह समझ गए कि दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्हें हिंदी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। डिस्कवरी चैनल, जी चैनल, सोनी चैनल इत्यादि सब ने हिंदी भाषा का सहारा लिया है। आज का विदेशी भाषी सिनेमा हिंदी में डब होकर आता है व उसका व्यापार अंग्रेजी भाषा के व्यापार से भी ज्यादा होता है। यह हिंदी के सशक्तीकरण का ही प्रमाण है।

पुरस्कृत निबंध

हिंदी के सशक्तीकरण का प्रमाण इस बात से चलता है कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश ने \$114 हिंदी के विकास के लिए दिए। हिंदी आज आम बोलचाल की भाषा से निकलकर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर परंतु विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पाई है। आज हिंदी को सराहना व अपनाना संपूर्ण विश्व की मजबूरी है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाषा पर यह कहा है कि निज उन्नति केवल निज भाषा में ही सम्भव है।

आज विभिन्न कार्यालयों में कार्य हिंदी भाषा में ही होना है। सरकार ने हिंदी की उन्नति के लिए समिति गठित कर रखी है, जो समय समय पर अपने सुझाव देती रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सफरनामा हिंदी भाषा ने तय किया है वह सराहनीय है। हिंदी आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है व उसको अनदेखा करना असंभव है। हिंदी के सम्मान में केवल यही कह सकते हैं।

सुंदर है, सुस्कृत है प्यारी है हिंदी।
हम सबकी राजदुलारी है हिंदी।।
विश्व स्तर पर दिलाती है सम्मान हमको।
राष्ट्र के सिर का ताज है हिंदी।

निवृत्ति पाण्डे, विधि सहायक